

फार्द अहकाम

नियम 26

त अदालत..... उपखण्ड अधिकारी राजस्व..... मुकाम..... भादरा.....

विजय चर्फ विजेन्द्र वनाम् मांगेराम आदि

सम मुकदमा..... 212 आरटीएक्ट न० ०1/2022 रान्..... 2022

रीख हुकम	हुकम् या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फार्द अहकाम की हुकम की तारीख जारी हुआ
----------	----------------------------------	---

01.2022 प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट का अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्त वेजी एवं शपथ पत्र से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके रोही मौजा एमएसआर के खाता संख्या 22/93 के मु० न० 51 के किला न० 18 ता 23, मु० न० 52 किला न० 16, 25, मु० न० 53 किला न० 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मु० न० 54 किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 6 ता 25, मु० न० 62 के किला न० 1 ता 5, मु० न० 63 किला न० 3 ता 5 कुल 13.0620 हे० में अप्रार्थी सं० 1 का 1/12 हिस्सा व रोही 2 बीएचडी के खाता सं० 17/24 के मु० न० 23 किला न० 16 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25 मु० न० 27 किला न० 14/1, 14/2, 15/2, 17, 20, 23, 24, 25/1, 25/2 मु० न० 28 किला न० 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25 मु० न० 29 किला न० 25 मु० न० 48 किमस प० 5/1, 5/2 मु० न० 49 किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, मु० न० 50 किला न० 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 14, 15/1, 15/2 कुल 13.2170 हे० में अप्रार्थी सं० 1 का 879/12217 हिस्सा बारानी खानेदारी कृषिभूमि में अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज हिस्सा की भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 रहन वैय व मुक्तकिल ना करें। इस संबंध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई उज एवं ऐतयान हो गो न्यायालय में असातान एवं बकाजान दिनांक 24.02.2022 को उपस्थित आकर बजह जाहिर करें अन्यथा क्यों ना ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कर दी जावे। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तहसी रजिस्टर्ड एडी से कस्बाकर रसीदे न्यायालय में 03 दिवस में पेश करें, तथा आवेश 39 नियम 3 सीपीसी की प्रावना सुनिश्चित करे, अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली दिनांक 24.02.2022 को पेश हो।

(Handwritten signature)



हुगम	हुगम या कार्यवाही मय इन्ीशियल जज	नम्बर व दायित्व फर्म अहवाल की हुगम की दायित्व जारी हुआ
------	----------------------------------	--

24/25 वकील बाकी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप
पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते.. ~~नकादी~~
दिनांक 27/26 को पेश हो। *lpi*

27/26 वकील बाकी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप
पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते.. ~~नकादी~~
दिनांक 30/26 को पेश हो। *lpi*

30/26 वकील बाकी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप
पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते.. ~~नकादी~~
दिनांक 20/26 को पेश हो।

28/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उत्पी व उत्पी
विजय स्वयं ने उपस्थित होकर मिसल
पेशी उत्पी व पत्रावली का निवेदन किया
कि उत्पी का पक्षकारान के साथ राजी-
नामा हो चुका है। अब उत्पी उपरोक्त
उत्पी पत्रावली को भाजे नहीं चलाना चाहता
है और इसी स्टेज पर खारिज करवाना
चाहता है। अतः उत्पी का राजीनामा होने
के कारण उत्पी का निवेदन स्वीकार किया
जाकर उत्पी को इसी स्टेज पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली नकादी से कम
कर दायित्व दायित्व को।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उत्पी व उत्पी की पक्ष
है।
विजय
(Signature)
(उत्पी व उत्पी)
(2-)